**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2034**

**उत्तर देने की तारीखः 28.07.2014**

**खेल के मैदान की सुविधा वाले स्कूल**

**2034. डॉ॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः**

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) 2013-14 के अनुसार, प्राथमिक स्तर वाले महज 58.05 फीसदी स्कूलों में ही खेल के मैदान की सुविधा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी स्कूलों में खेल के मैदान की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग) **: जी, हां। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई), 20130-14 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर 58.05 प्रतिशत स्कूलों में खेल के मैदान हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य योजनाओं के अनुरूप तथा अन्य खेल मैदानों/निगम पार्कों का प्रबंध करते हुए ये सुविधाएं प्रदान करने की सलाह दी गई है ताकि बच्चे आउटडोर खेलकूद मे हिस्सा ले सकें।**

\*\*\*\*\*